82

संख्याः-596/एक-10-2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,
उ०प्र०, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 01 जून, 2025

विषयः राहत आयुक्त कार्यालय में संचालित एकीकृत आपदा नियन्त्रण केन्द्र को और अधिक सुदृढ तथा समय के अनुरूप प्रासंगिक बनाने के लिये आवश्यक सेवाओं हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की कैपिसिटी बिल्डिंग मद से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8251/रा0आ0का0/कन्ट्रोल रूम/2025-26, दिनांक 06.05.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से एकीकृत आपदा नियन्त्रण केन्द्र को विभिन्न आपदाओं की पूर्व तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया और पुनर्वास कार्यों तथा आगामी मानसून सीजन (बाढ) को देखते हुये प्रभावी अनुश्रवण तथा जनपदों एवं अन्य विभागों से बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा कन्ट्रोल रूम को त्वरित क्रियाशील एवं और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिये आवश्यक सेवाओं हेतु इस वित्तीय वर्ष के अवशेष 10 माह के लिए निम्नलिखित विवरणानुसार राज्य आपदा मोचक निधि की कैपिसिटी बिल्डिंग मद से कुल धनराशि रू0 44,62,897/- आवण्टित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

एकीकृत आपदा नियन्त्रण केन्द्र के सुदृढीकरण हेतु आवश्यक सेवाएं-

क्र0 सं0	पदनाम	वर्तमान में कार्यरत मैनपावर की सं0	बढाये जाने वाले आवश्यक मैनपावर की संख्या	कार्य/उत्तर दायित्व	लागत (रू0)	लागत/प्रति माह (रू0)	कुल लागत वित्तीय वर्ष के आगामी 0 माह हेतु (रू0)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कॉल सेन्टर एजेंट्स/टेली कॉलर बाढ को दृष्टिगत रखते हुये	18	06	इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल करना एवं रिसीव करना, जनपदों से आई हुई शिकायतों का जनपद स्तर से निस्तारण कराना	18,000/-	1,08,000/-	5,40,000/- (मानसून सीजन में 05 माह हेतु)
2	शिफट टीम लीडर	-----	03	एजेंट्स की निगरानी, रिपोर्ट तैयार करना, 24x7 कन्ट्रोल रूम प्रशिक्षण और प्रदर्शन का आंकलन।	24,000/-	72,000/-	7,20,000/-

3	एकाउन्टेन्ट	------	02	लेखा सम्बन्धी कार्यों में सहायोग करने हेतु	28,000/-	56,000/-	5,60,000/-
4	तकनीकी सपोर्ट स्टाफ	------	01	हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समस्याओं को हल करना।	25,000/-	25,000/-	2,50,000/-
5	कम्प्यूटर ऑपरेटर	------	04	डेटा एंट्री, डाटा रिसीविंग, सेविंग, कंपाईलेसन और अन्य कार्य	22,000/-	88,000/-	8,80,000/-
6	एम0टी0एस0	5	1	फाइलें, पत्राचार और दस्तावेजों का रखरखाव/कार्यालय में स्वच्छता आदि कार्य।	15,000/-	15,000/-	1,50,000/-
			योग				31,00,000/-
			पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0सी0		(13%+3.75%=16.75%)		5,19,250/-
			योग				36,19,250/-
			सर्विस चार्ज		4.5%		1,62,866/-
			योग				37,82,116/-
			CGST+SGST		(9%+9%=18)		6,80,781/-
			कुल योग (लागत)				44,62,897/-

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 06.05.2025 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 22-05-2025 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत राहत आयुक्त कार्यालय में संचालित एकीकृत आपदा नियन्त्रण केन्द्र को विभिन्न आपदाओं की पूर्व तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया और पुनर्वास कार्यो तथा आगामी मानसून सीजन (बाढ) को देखते हुये प्रभावी अनुश्रवण तथा जनपदों एवं अन्य विभागों से बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा कन्ट्रोल रूम को त्वरित क्रियाशील एवं और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिये आवश्यक सेवाओं हेतु इस वित्तीय वर्ष के अवशेष 10 माह के लिए उपरोक्त विवरणानुसार राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से धनराशि कुल रू0 44,62,897/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबंध-</u>

(1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वितीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/ अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2026 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(9) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 44,62,897/- (रू0 चौवालीस लाख बासठ हजार आठ सौ सत्तानबे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
SHAILENDRA MANI TRIPATHI
Date: 05-06-2025 14:10:18

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

<u>संख्या:-596(1)/एक-10-2025, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्षः-2025-2026
आवंटन दिनांक-06/06/2025

प्रेषण संख्याः- 596
आवंटन आदेश संख्याः- 001-596
अनुदान संख्याः- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षकः- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	4462897 153990271	4462897 153990271
	योग	वर्तमान प्रगामी	4462897 153990271	4462897 153990271

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौवालीस लाख बासठ हजार आठ सौ सत्तानवे
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पन्द्रह करोड़ उनतालीस लाख नब्बे हजार दो सौ इकत्तर

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।